# न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–389 / 2026**
**राजेश्वरी थाना काण्ड संख्या–04 / 2026**

**1. हीरालाल कामत, उम्र करीब–42 वर्ष, पिता–सुरेन्द्र कामत,**
**2. जिरालाल कामत, उम्र करीब–40 वर्ष, पिता–सुरेन्द्र कामत,**
**दोनों साकिनान–कामत किशुनगंज, वार्ड नं0–15, थाना–राजेश्वरी, जिला–सुपौल.....आवेदकगण।**

**बनाम्**

**बिहार राज्य.....विपक्षी।**

---

**01.04.2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण यथा **हीरालाल कामत एवं जिरालाल कामत** की ओर से दाखिल किया गया है, जो कि राजेश्व री थाना कांड संख्या–04 / 2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(2), 109(1), 303(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं जिनका यह वाद श्री चेतन आनंद, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, सुपौल के न्यायालय में लंबित है।

अभियुक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव को सुना।

अभियुक्त आवेदकगण, सूचक विद्यानंद कामत के लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित राजेश्वरी थाना कांड संख्या–04 / 2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(2), 109(1), 303(2), 3(5) बी0एन0एस0 के प्राथमिकी अभियुक्तगण हैं। लिखित आवेदन में सूचक ने अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध आरोप लगाया है कि सूचक अपने निजी जमीन में मकान का काम कुर्षि तक छः माह पूर्व ही पुरा कर लिया था, फिर उसी कुर्षि में पांच दिन से काम चल रहा था। उसी दौरान हीरालाल कामत, जिरालाल कामत, छोटेलाल कामत, भुपेन्द्र कामत, विरेन्द्र कामत, सुरेन्द्र कामत ये सभी एकजूट होकर दिनांक–10.01.2026 रोज शनिवार को शाम के पांच बजे जान से मारने की नीयत से हीरालाल कामत मुंह बंद करके सूचक को जमीन पर पटक दिया और जिरालाल कामत रड से माथा पर प्रहार किया और छोटेलाल कामत गला से सोने का चैन खींच लिया। भूपेन्द्र कामत इनके जेब से दो हजार रूपया निकाल लिया। बिरेन्द्र कामत लाठी से इन पर प्रहार किया, सुरेन्द्र कामत दबिया से प्रहार किया, जिससे इनका सर फट गया और वे बेहोश हो गये। उसके बाद इनका भाई ललन कामत इन्हें किसी तरह बचा कर भागे और छातापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती किये। फिर वहां से इन्हें गंभीर हालत में देखने के बाद डॉ0 द्वारा सुपौल रेफर कियाा गया और इनका ईलाज सदर अस्पताल, सुपौल में किया गया।

अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत, और गढ़ा हुआ है। सभी आरोप सूचक की दुर्भावना से उत्पन्न हुए है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध धारा–303(2) एवं 109(1) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं, जबकि सूचक द्वारा धारा–303(2) एवं 109(1) बी0एन0एस0 केवल अपराध को गैर–जमानतीय और गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध सूचक पर हमला करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और न ही गहने या रूपये छीनने का कोई विशिष्ट आरोप है। राजेश्वरी थाना कांड संख्या–05 / 2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 76, 118(2), 303(2), 351(2), 352(2),

## न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–389 / 2026**
**राजेश्वरी थाना काण्ड संख्या–04 / 2026**

3(5) बी0एन0एस0 का पलटा मुकदमा हीरालाल कामत (अभियुक्त आवेदक संख्या–1) की पत्नी सविता देवी द्वारा सूचक और उसके परिवार के अन्य सदस्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त आवेदकगण धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 में दिये गये सभी प्रावधानों का पालन करने को तैयार है। अभियुक्त आवेदकगण श्रीमान् के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय उभय पक्ष को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त आवेदकगण पर सूचक को लोहा के रॉड से माथा पर मारने और उनके गले से सोने का चैन एवं रूपये आदि छीनने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में वादी विद्यानंद कामत का पुनः बयान अंकित है, जिन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना को पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका–6 एवं 8 में साक्षीगण का बयान अंकित है, इन्होंने भी अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–31 में जख्मी विद्यानंद कामत का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा जख्मी का जख्म **साधारण प्रकृति** का पाया गया है, जो जख्म कठोर एवं भोंथरे पदार्थ से कारित होना बताया गया है। कंडिका–41 में संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख है, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कांड को गंभीर बनाने के लिए इस तरह का आरोप लगाने की बात प्रकाश में आयी है। अतः कांड संख्या–04 / 2026 में धारा–303(2) बी0एन0एस0 का समावेश उचित प्रतीत नहीं होता है। कांड दैनिकी की कंडिका–38 में अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होने का उल्लेख नहीं है। उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद के कारण घटना कारित होना प्रतीत होता है। जख्मी का जख्म भी साधारण प्रकृति का पाया गया है। ऐसी स्थिति में, अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूछताछ हेतु अभियुक्त आवेदकगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण यथा **हीरालाल कामत एवं जिरालाल कामत** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा अभियुक्त आवेदकगण की गिरफ्तारी या आत्म–समर्पण की स्थिति में इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0–10,000 / –रुपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर बी0एन0एस0एस0 की धारा–482(2) के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, अभियुक्त आवेदकगण न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे और प्रस्तुत मामले के अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं करने पर विचारण न्यायालय अभियुक्त आवेदकगण का बंध–पत्र खंडित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
**(तेज प्रताप सिंह)**
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।